रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 1975
श्रावण 23, 1897 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3222 सत्रह-वि-1--54-75

लखनऊ, 14 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह 15 अगस्त, 1975 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा, की धारा 2 में,--

(1) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायें, अर्थात् :--

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को ले जाने के लिये भी निम्नलिखित दशाओं में प्रयोग कर सकता है--

(क) यथास्थिति, विधान सभा अथवा विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में दो से अनधिक बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिए और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिये;

(ख) किसी महिला सदस्य द्वारा ऐसी यात्राओं के लिए, जो उसके द्वारा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त एवं ऐसी उपस्थिति के बाद निवास स्थान को वापिसी के निमित्त की जायें ;

अग्रेतर ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा में (जिसमें ऐसी रेल यात्रा के क्रम में की गई उत्तर प्रदेश के भीतर की दूरियां भी शामिल होंगी) ले जाने के लिये इस शर्त के अधीन प्रयोग कर सकता है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं की दूरी को सम्मिलित कर इस प्रकार की कुल दूरी 10,000 कि0मी0 प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर होगी।"

(2) उपधारा (1--क) के पश्चात्, किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्--

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा में (जिसमें ऐसी रेल यात्रा के क्रम में की गई उत्तर प्रदेश के भीतर की दूरियां भी शामिल होंगी) ले जाने के लिये इस शर्त के अधीन प्रयोग कर सकता है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं की दूरी को सम्मिलित कर इस प्रकार की कुल दूरी 10,000 कि0मी0 प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।"

(3) उपधारा (2) में--

(क) खंड (1) में शब्द "प्रत्येक यात्रा के लिये" के स्थान पर शब्द "उक्त प्रयोजनों के निमित्त, यात्राओं के लिये, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा अथवा विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिये, केवल प्रथम बार लखनऊ आने के लिये और केवल अंतिम बार अपने निवास स्थान वापस जाने के लिये" रख दिये जायं।

(ख) खंड (2) तथा दोनों परन्तुक निकाल दिये जायं।

(4) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् --

"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, जो नेता विरोधी दल से भिन्न हो, पांच सौ पचास रुपये प्रति मास का समेकित प्रतिकर भत्ता (जिसके अन्तर्गत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सिलसिले में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में रेल, सड़क या वायुयान द्वारा किसी यात्रा के लिये उपधारा (2) में निर्दिष्ट आनुषंगिक व्यय को छोड़कर कोई और आनुषंगिक व्यय, और दैनिक भत्ता और किसी भी प्रकार के अन्य सभी व्यय भी सम्मिलित हैं) राज्य विधान मंडल के सदन की या उसकी किसी समिति की, जिसका वह सदस्य हो, किसी बैठक में प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए पन्द्रह रुपया की कटौती की शर्त के अधीन, पाने का हकदार होगा।"

धारा 2-ख का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 2--ख में शब्द "आवास के उपयोग" के स्थान पर शब्द "नियमों द्वारा नियत स्तर के सुसज्जित आवास का उपयोग" रख दिये जायं तथा अंक तथा शब्द "90 रु0 प्रति मास" के स्थान पर अंक तथा शब्द "150 रु0 प्रतिमास" रख दिये जायं।

No. 3222 (2) /XVII-V—1-54-75

Dated Lucknow, August 14, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature assented to by the Governor on August 13, 1975 :

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS' EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1975

[U. P. Act no. 23 of 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the U. P. Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1975.

(2) It shall come into force on August 15, 1975.

Amendment of section 2 of U.P. Act XII of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act—

(1) *After* sub-section (1), the following provisos shall be *inserted,* namely :—

"Provided that such member may, in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons, for journey by rail, also for taking with himself one companion in the following cases—

(*a*) for each session of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, not more than twice for coming to Lucknow from the railway station nearest to the place of his residence and going back from Lucknow to such railway station ;

(*b*) for such journey, as is performed, by a woman member for her attendance required in connection with her duties and functions as such member and for return, after such attendance, to her place of residence :

Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail outside Uttar Pradesh (inclusive of the distance within Uttar Pradesh covered in continuation of such journey by rail), so, however, that such distance in the aggregate including the distance of journey by him and by the members of his family, shall be subject to the aforesaid maximum, limit of 10,000 kilometres per year ;"

(2) *After* sub-section (1-A), but before the Explanation thereto, the following proviso shall be *substituted,* namely :—

"Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail outside Uttar Pradesh (inclusive of the distance within Uttar Pradesh covered in continuation of such journey by rail), so, however, that such distance in the aggregate including the distance of journey by him and by the members of his family shall be subject to the aforesaid maximum limit of 10,000 kilometres per year." ;

(3) In sub-section (2),—

(*a*) in clause (i) *for* the words "for every journey", the words "for journeys for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at sittings of any Committee thereof, only for coming to Lucknow in the first instance and for going back to his residence the last time" shall be *substituted*;

(*b*) clause (ii) and both the provisos and Explanation thereof shall be *omitted*;

(4) *After* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Every member referred to in sub-section (1), other than the Leader of the Opposition, shall be entitled to a consolidated compensatory allowance [inclusive of incidental charges, if any, other than incidental charges referred to in sub-section (2), for any journey by rail, road or air, and daily allowance and all other expenses whatsoever in respect of his attendance required in connection with his duties or functions as such member] of five hundred and fifty rupees per month subject to a deduction of fifteen rupees for each day of absence from a sitting of the House of the State Legislature or a Committee thereof, of which he is a member."

Amendment of section 2-B.

3. In section 2-B of the principal Act, *for* the words "the use of accommodation", the words "the use of accommodation furnished on the scale prescribed by the rules" shall be *substituted*, and *for* the words and figures "Rs.90 per month", the words and figures "Rs.150 per month" shall be *substituted*.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 205 सा०(विधा०)—1975—750 (मे०)।

राजस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 28 अगस्त, 1975
भाद्रपद 6, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3222/सत्रह-वि-1--54-75

लखनऊ, 28 अगस्त, 1975

शुद्धि-पत्र

दिनांक 14 अगस्त, 1975 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में विधायिका अनुभाग-1 की उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या 3222/सत्रह-वि-1--54-75 के अन्तर्गत प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1975) के अंग्रेजी संस्करण में धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "the provisos and explanation thereof" के स्थान पर शब्द "the provisos thereof" पढ़े जायं।

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी०एस० यू०पी०--ए०पी०--229 सी० (विधा०)--1975--650 (मे०)